3. यह नोट कर लेना चाहिए कि एक बार इस कक्षा में नामांकित किये जाने के बाद अन्य इस कक्षा में नियमित उपस्थित होना और अवधि पूरी होने के बाद परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा।

4. दक्षिण क्षेत्र में सफल होने पर यह व्यवस्था बाद में अन्य क्षेत्रों में भी लागू की जायेगी।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस विभाग को भी भेज दें।

सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा अनुवादकों को हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षण

16. का० ज्ञा० सं० 12011/4/74-हिन्दी-2 रा० भा० (डी०), दिनांक 11-8-75

विषय :—सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा हिन्दी अनुवादकों को हिन्दी टाइपराइटिंग का प्रशिक्षण देना।

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अन्तर्गत हिन्दी टाइपराइटिंग का सेवाकालीन प्रशिक्षण केवल लिपिकों और टंककों के लिए ही अनिवार्य है। समय-समय पर मांग आती रही है कि सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा हिन्दी अनुवादकों को भी हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टाइपराइटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि इस प्रकार का प्रशिक्षण इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगा, उन्हें भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए।

2. चूंकि उपर्युक्त राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत इन कर्मचारियों के लिए हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, यह निर्णय लिया गया है कि इन्हें हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टंकण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर भरती किया जायेगा और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर ही दाखिला दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण के बाद मिलने वाला कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय की, उनकी तारीख 5 जुलाई, 1975 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 4958-एच० एफ०/75 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. इस कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

17. का० ज्ञा० सं० 11034/12/75-रा० भा० (डी), दिनांक 7-2-77

विषय :—हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण—लिपिकों को यह सुविधा दिया जाना।

राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण केवल आशुलिपिकों और आशुटंककों के लिये ही अनिवार्य है। फिर भी, समय समय पर मांग आती रही है कि लिपिकों को भी हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने की सुविधा दी जाये। मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि लिपिकों को भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधा दी जा सकती है।

2. चूंकि राष्ट्रपति जी के ऊपर बताये गये आदेशों के अन्तर्गत लिपिकों के लिये हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि कक्षाओं में इन्हें स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर दाखिला दिया जा सकता है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि इन्हें प्रशिक्षण स्वैच्छिक आधार पर दिया जाएगा फिर भी नामांकन के बाद, अन्य प्रशिक्षार्थियों की भांति, इनके लिये भी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होना और प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। साथ ही, इन कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर कोई प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाएगा।

3. It may be noted that having once been nominated to the class, it would be obligatory for an office to attend the class regularly and to appear in the examination conducted on completion of the relevant period.

4. After this arrangement has proved successful in the Southern Region, it would be extended to other regions.

5. The Ministry of Finance etc. are requested that action taken in this regard may please be intimated to the Department of Official Language also.

Training of Asstts. UDCs and Translators in Hindi Typing

16. O.M. No E. 12011/4/74-H. 2/OL (D) dated 11-8-75

SUBJECT :— *Trainnig in Hindi typewriting to Assistants, Upper Division Clerks and Hindi Translators*

Under the provisions of the Presidential Order of 27th April, 1960, in-service training in Hindi typewriting is obligatory only for the clerks and the typists. Demands have been made from time to time that Assistants, Upper Division Clerks and Hindi Translators should also be allowed to receive training in Hindi typewriting through the Typewriting Centres of the Hindi Teaching Scheme. The matter has been considered and it has been decided that since such a training would be useful for these categories of employees, it may be given to them.

2. However, since under the Presidential Order referred to above, the training in Hindi typewriting is not obligatory for these employees, it has been decided that they will be admitted to the Hindi Typewriting classes of the Hindi Teaching Scheme on voluntary basis. These employees will also not be eligible for any of the incentives granted under the Hindi Teaching Scheme on successful completion of the training.

3. This Office Memorandum is issued with the concurrence of the Ministry of Finance vide their U.O. No. 4958-HF/75, dated the 5th July, 1975.

17. O.M. No. 11034/12/75-OI (D) dated 7-2-77

SUBJECT :—*Training in Hindi Stenography under the Hindi Teaching Scheme—Extension of the facility to the Clerks.*

Under the Presidential Order of the 27th April, 1960 in-service training in Hindi Stenography is obligatory only for Stenographers and Stenotypists. However, demands have been made from time to time that Clerks should also be permitted to avail of the facility of training in Hindi Stenography under the Hindi Teaching Scheme. The matter has been considered and it has been decided that the facility for such training may also be made available to the Clerks.

2. However, since under the Presidential Order referred to above, training in Hindi Stenography is not obligatory for the Clerks, it has been decided that they may be nominated to the Hindi Stenography classes under the Hindi Teaching Scheme on voluntary basis and may be admitted thereto, subject to availability of seats. It should, however, be clearly understood that although the training would be imparted to them on voluntary basis, once they are nominated, it would be compulsory for them, like the other trainees, to attend the classes regularly and to appear at the examination on the completion of the training. Moreover, such officials will not be granted any incentives on their passing the Hindi Stenography Examination under the Hindi Teaching Scheme.

घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिया गया ब्यौरा सही है। यदि उपर्युक्त ब्यौरा गलत या अयथार्थ पाया गया तो मैं एक-मुश्त पुरस्कार प्राप्त करने पर उसे लौटा देने का वचन देता हूं। मुझे यह भी मालूम है कि तथ्यों का अयथार्थ विवरण देकर एक-मुश्त पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर.....

91. का० ज्ञा० सं० 12011/1/77-रा० भा० (डी), दिनांक 31-12-77

विषय :—ऐसे स्थानों पर तैनात आशुलिपिकों को जहां हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं, हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार की स्वीकृति।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आशुलिपिकों के लिए हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है। उन आशुलिपिकों को, जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं, जहां हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं, हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, अन्य पुरस्कारों के अतिरिक्त 300 रुपये का एक-मुश्त पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त आशुलिपिक सामान्यतः प्राईवेट संस्थानों में प्रशिक्षण लेकर हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास करते हैं। इस संबंध में इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्रों पर तो हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के भाग के रूप में हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, परन्तु अधिकतर प्राइवेट संस्थानों में हिन्दी टाईपिंग हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण का अंक नहीं होता और कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने से पहले हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण अलग से लेना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विभाग से अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त वर्ग के आशुलिपिकों को हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण लेने की भी सुविधा दी जानी चाहिए तथा इसके लिए उन्हें कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया गया है कि ऐसे स्थानों पर तैनात आशुलिपिकों को जहां हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है, सुविधा दी जाए कि वे चाहे तो हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा सीधे पास करें और चाहे तो पहले हिन्दी टाईपिंग की परीक्षा पास करें और फिर आशुलिपि की। यह भी निर्णय लिया गया है कि दूसरी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की आधी राशि (अर्थात् 150 रुपये) हिन्दी टाईपिंग परीक्षा पास करने पर दी जाए और बाकी आधी राशि (अर्थात् 150 रुपये) हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर। लेकिन आशुलिपिकों को हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण लेने अथवा परीक्षा पास करने के लिए अन्य कोई प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन या नकद पुरस्कार) नहीं दिया जाएगा, परन्तु हिन्दी टाईपिंग परीक्षा देने के लिए उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जाएगी जो उन कर्मचारियों को दी जाती हैं जिन के लिए हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय के तारीख 6-12-77 के अ०टि०संख्या 3445-ई-11 (ए) के अन्तर्गत प्राप्त सहमति के अनुसार जारी किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और अपने नियंत्रणाधीन निगमों और सरकारी उपक्रमों से कहें कि वे अपने कर्मचारियों को भी यह सुविधा दें।

92. का०ज्ञा० सं० 12016/2/78-रा० भा० (डी), दिनांक 10-1-1979

विषय :—स्वैच्छिक आधार पर हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण लेने पर सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा हिन्दी अनुवादों को हिन्दी टाईपिंग परीक्षा पास करने पर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना।

मुझे इस विभाग के 11 अगस्त, 1975 के कार्यालय ज्ञापन सं० 12011/4/74-हिन्दी-2/रा०भा०(डी) की ओर सभी मंत्रालयों और विभागों का ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और हिन्दी अनुवादकों को जिनके लिए हिन्दी टाईपिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर भर्ती किया जा सकता है और स्थान रिक्त होने पर उन्हें कक्षाओं में दाखिला दिया जा सकता है। इस कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि ऐसे

DECLARATION

The particulars given by me are true to the best of my knowledge and belief, I undertake to refund the lump-sum award, paid to me, in case any of the above information is found to be false or inaccurate. I also understand that disciplinary action may be taken against me for attempting to receive lump-sum award by making an inaccurate statement of facts.

Signature.....

91. O.M. No. 12011/1/77-OL(D), dated 31-12-77

SUBJECT :—*Grant of lump-sum award on passing Hindi Typewriting Examination to the Stenographers posted at places having no Hindi Stenography Training Centres.*

The undersigned is directed to say that training in Hindi Stenography is obligatory for the Stenographers. There is a provision for the grant of a lump-sum award of Rs. 300/- in addition to other awards, to the Stenographers posted at places having no Hindi Stenography Training Centres under the Hindi Teaching Scheme, on their passing the Hindi Stenography Examination.

The aforesaid Stenographers generally pass the Hindi Stenography Examination by acquiring the training at the private institutions. In this connection, it has been brought to the notice of this Department that while training in Hindi typewriting is also imparted as a part of training in Hindi Stenography at the training Centres of the Hindi Teaching Scheme, the Hindi Typewriting does not form part of the training in Hindi Stenography in most of the private institutions and the employees have to receive the training in Hindi Typewriting separately before acquiring the training in Hindi Stenography. In view of this, request has been made to this Department that the above category of Stenographers should be provided the facility of receiving training in Hindi Typewriting also and for this purpose they should be granted some monetary incentive also.

The question has been examined in all its aspects and it has been decided that the Stenographers posted at places having no Hindi Stenography Training Centres under the Hindi Teaching Scheme should be provided the facility either to straightway pass the Hindi Stenography Examination under the Hindi Teaching scheme or to pass the Hindi Typewriting Examination first and then the Hindi Stenography Examination. It has also been decided that in the latter case, half of the amount (i.e. Rs. 150/-) admissible to such employees as monetary incentive may be paid on passing the Hindi Typewriting Examination and the remaining half (i.e. Rs. 150/-) to be paid on passing the Hindi Stenography Examination. No other Incentives (personal pay or cash award) will however, be granted to the Stenographers for receiving the training in Hindi Typewriting or passing the examination thereof, but they will be given all the facilities for appearing at the Hindi Typewriting Examination which are given to those employees for whom training in Hindi Typewriting is obligatory.

This Office Memorandum issues with the concurrence of the Ministry of Finance vide their U.O. No. 3445-E. II(A), dated the 6-12-1977.

The Ministry of Agriculture etc., are requested to bring this Office Memorandum to the notice of all concerned and also to ask the corporations and Government undertakings etc. under their control to provide this facility to their employees also.

92. O.M. No. 12016/2/78-OL (D), dated 10-1-79

SUBJECT :—*Grant of various monetary incentives to Assistants, UDCs and Hindi Translators on their passing the Hindi Typewriting examination after receiving training in Hindi Typewriting on voluntary basis.*

The undersigned is directed to invite the attention of all Ministries and Departments of the Government of India, to this Department's O.M. No. 12011/4/74—Hindi-II/O. L. (D), dated the 11th August, 1975. Under this O.M. it was decided that Assistants, U.D.C.s and Hindi Translators, for whom training in Hindi Typewriting is not obligatory, could be enrolled for the Hindi Typewriting training of the Hindi Teaching Scheme on voluntary basis and admitted to the classes subject to availability of seats. It was also decided

कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए कोई भी वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा जो अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। इस बारे में फिर से विचार कर अब यह निर्णय लिया गया है कि सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और अनुवादकों को भी हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर निम्न श्रेणी लिपिकों की ही भांति विभिन्न सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे जिससे वे अपनी हिन्दी टाइपिंग की योग्यता बढ़ा सकें और अंग्रेजी के समान ही कार्य कुशलता से अपना काम हिन्दी में भी कर सकें। हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, और अनुवादकों को विभिन्न सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन इस संबंध में पहले ही जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दिये जाएगें।

2. यह और स्पष्ट किया जाता है कि "सहायकों" और "उच्च श्रेणी लिपिकों" के पदों में ग्रुप "ग" के वे सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे जो दूसरे कार्यालयों में उनसे मिलता जुलता कार्य करते हों, न कि पर्यवेक्षण कार्य, और जिनके भिन्न पदनाम हैं। "जैसे लेखापरीक्षा विभाग में प्रवरण लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षक। हिन्दी अनुवादकों के पदों का अभिप्राय ग्रुप "ग" के उन सरकारी कर्मचारियों से भी है जो अनुवाद कार्य करते हों, न कि पर्यवेक्षण कार्य, और जिनके भिन्न पदनाम हों जैसे लेखापरीक्षा विभाग में अनुवाद के कार्य में लगे हुए कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक आदि या अनुभाग अधिकारी, प्रवरण लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षक।

3. यह कार्यालय ज्ञापन इसके जारी होने की तारीख से लागू होगा।

4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय की दिनांक 1-1-79 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 4164-E.2(E)/78 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

5. उचित होगा कि यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा अनुभागों के अधिकारियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जा रहा है।

93. का० ज्ञा० सं० 12011/5/33-रा० भा० (घ), दिनांक 29-10-84

विषय :—निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं तथा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन—एकमुश्त पुरस्कार संबंधी आदेशों का समेकित किया जाना—पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 22-5-1977 के कार्यालय ज्ञापन सं 12013/3/76-रा० भा० (घ) में आंशिक संशोधन करते हुए, मुझे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को (1) निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं पास करने पर और (2) मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है, निम्नलिखित मान से, एक मुश्त पुरस्कार देने के संबंध में राष्ट्रपति जी की संस्वीकृति देने का निदेश हुआ है :—

परीक्षा	पुरस्कार
1. हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रु० 250.00 (दो सौ पचास)
2. हिन्दी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रु० 250.00 (दो सौ पचास)
3. हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	रु० 300.00 (तीन सौ)
4. हिन्दी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपिंग परीक्षा	रु० 200.00 (दो सौ)
5. हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा	रु० 500.00 (पांच सौ)
6. स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है।	रु० 300.00 (तीन सौ)
7. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की हिन्दी परिचय परीक्षा	रु० 300.00 (तीन सौ)

that such employees would not be eligible for any monetary incentives normally admissible after obtaining the training in Hindi Typewriting.

The matter has since been reconsidered and it has now been decided that as in the case of L. D. Cs who get themselves enrolled in training classes, various facilities and monetary incentives may be granted to Assistants, U.D.Cs and Translators also on their passing the Hindi Typewriting examination so that they can improve their proficiency in Hindi Typewriting and may do their work in Hindi as efficiently as in English. For this purpose, Assistants, U.D.Cs and Translators will be granted facilities and monetary incentives subject to the fulfilment of various terms and conditions already laid down in this regard.

2. It is further clarified that terms "Assistants" and "UDCs" will include Government servants of the group 'C' doing similar work, but not supervisory work, in other offices and having different designations such as Selection Grade Auditors or Auditors in the Audit Department. The term Hindi Translators will also include Government servants of Group 'C' engaged in translation work, but not supervisory work, and having different designations such as Junior Hindi Translators, Senior Hindi Translators etc., or Section Officers, Selection Grade Auditors, Auditors in the Audit Department engaged in translation work.

3. This O. M. will be effective from the date of its issue.

4. This O. M. issues with the concurrence of the Ministry of Finance vide their U.O. No. 4154 E-2 (A)/78, dated 1-1-79.

5. It will be appropriate that the contents of this O. M. may be brought to the notice of all concerned.

6. In so far as employees of the Indian Audit and Accounts Departments are concerned, these orders issue with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

93. O.M. No. 12011/5/83-OL (D), dated 29-10-84

SUBJECT :—*Incentives on passing the Hindi, the Hindi typing and the Hindi Stenography Examinations of the Hindi Teaching Scheme through one's own efforts and on passing the recognised Hindi Examinations of voluntary Hindi Organisations etc.— Consolidation of orders relating to the grant of Lump-sum Award—Increase in the amount.*

In partial modification of this Deptt's O.M. No. 12013/3/76-OL(D), dt. 22-5-77 the undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of lump-sum award at the following rates, to the Central Government employees on passing (i) the Hindi, the Hindi Typewriting and the Hindi Stenography examinations of the Hindi Teaching Scheme through their own efforts, and (ii) such Hindi examinations conducted by the recognised Voluntary Organisations, as have been recognised by the Government of India (Ministry of Education and Social Welfare) as equivalent to or higher than the Marticulation Examination :—

Examination	Award
(1) Prabodh Examination of the Hindi Teaching Scheme . . .	Rs. 250·00 (Rupees two hundred and fifty) only.
(2) Praveen Examination of the Hindi Teaching Scheme . . .	Rs. 250·00 (Rupees two hundred and fifty) only.
(3) Pragya Examination of the Hindi Teaching Scheme . . .	Rs. 300·00 (Rupees three hundred) only.
(4) Hindi Typewriting Examination of the Hindi Teaching Scheme .	Rs. 200·00 (Rupees two hundred) only.
(5) Hindi Stenography Examination of the Hindi Teaching Scheme .	Rs. 500·00 (Rupees Five hundred) only.
(6) Such Hindi Examinations conducted by the Voluntary Hindi Organisations as have been recognised by the Govt. of India (Ministry of Education and Social Welfare) as equivalent to or higher than the Matriculation Examination.	Rs. 300·00 (Rupees Three hundred) only.
(7) Hindi Parichaya Examination of the Central Hindi Directorate. .	Rupees 300·00 (Rupees Three hundred) only.